



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर


क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2020/ T-13

दिनांक 15.11.2020

महिला उत्पीड़न एवं अधिकारों के संरक्षण सम्बंधी जागरूकता

सभी उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए सूचनार्थ

बोर्ड से संबंधित सभी उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के शाला प्रधानों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्राओं को महिला उत्पीड़न एवं अधिकारों का संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधियों की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन कर छात्राओं को महिला अधिकारों एवं उनसे संबंधित विधियों को जानकारी दी जानी है। इस संबंध में सभी विद्यालय अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट "www.ncw.nic.in" का अवलोकन कर सकते हैं।


निदेशक (शैक्षिक)

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर - 305001 के नाम सम्बोधित कीजिए।

PBX Tel- 0145.2632870, 2632871, 2632872, 2632873, Fax : 145- 2632869

E - mail : secy-boscr-rj@nic.in Web site - www.Rajeduboard.nic.in